न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 12/2022 (धारा 75 भू राज. अधि.1956) (RCMS No.2022/12)

कृष्णादेवी पत्नी श्री राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी मोरोली डॉग तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।
2. बन्दोवस्त अधिकारी बन्दोवस्त विभाग भरतपुर।
3. तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी रूपवास मुकदमा संख्या 6/18 कृष्णादेवी बनाम सरकार निर्णय दिनांक 12.01.2022 (136 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

श्री दिनेश कुमार शर्मा वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः–09.04.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी रूपवास के निर्णय दिनांक 12.01.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया कि राजस्व नक्शा ट्रैस में पुराने नक्शा व कब्जा के आधार पर ग्राम मोरोली डॉग के खसरा नम्बर 142/14 का जो नया खसरा नम्बर 187/14 बनाया गया है, को नये खसरा नम्बर 196 व 197 के पास बनाया है, वह गलत बनाया है। नये नक्शे में जिस स्थान पर दर्शाया है, वह गलत व अशुद्ध है। नये खसरा नम्बर 187/14 को नये खसरा नम्बर 209, 210, 205 के पास दर्शाया जाना है, जिसके पूर्व में खसरा नम्बर 152, 157, 158 थे कि खातेदारी के कब्जा व मुताबिक राजस्व नक्शा में शुद्ध अंकन इन्द्राज किये जाने का आदेश दिये जाने हेतु निवेदन किया गया था। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही यह विवेचना करते हुये कि मुताबिक रिपोर्ट नायब तहसीलदार रूदावल दिनांक 16.12.2021 के पुराना खसरा नम्बर 609/142 रकबा 0.14 विस्बा हाल खसरा नम्बर 187 रकबा 0.11 हैक्टेयर है जो सही मिलान हो रहा है। किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं पाया गया। प्रकरण धारा 136 एल आर एक्ट के अंतर्गत खातेदार कृष्णादेवी पत्नी राधेश्याम की मौका रिकार्ड अनुसार मांग गलत है। नक्शा साविक

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

व हाल अनुसार उक्त खसरा नम्बर अन्य स्थान पर है जो कि इनकी मांग के लगभग 300 मीटर दूरी पर है। इस आधार पर प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.01.2022 खारिज किया गया है। उपखण्डाधिकारी रूपवास के उक्त आदेश दिनांक 12.01.2022 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया लिहाजा वकील.अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी रूपवास की ओर से पारित अपीलधीन निर्णय दिनांक 12.01.2022 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में अपीलान्टा द्वारा एक प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट विरूद्ध रैस्पो0 इस आशय का तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि राजस्व नक्शा ट्रैस में पुराने नक्शा व कब्जा के आधार पर ग्राम मोरोली डांग के खसरा नम्बर 142/14 को जो नया खसरा नम्बर 187/14 को नये खसरा नम्बर 196 व 197 के पास बनाया है व गलत बनाया है नये नक्शा में जिस स्थान पर दर्शाया गया है वह गलत है व अशुद्ध है नये खसरा नम्बर 187/14 को नये नक्शा में खसरा नम्बर 209, 210 व 205 के पास दर्शाया जाना चाहिऐ था जो कि पूर्व में खसरा नम्बर 152, 157 व 158 थे की खातेदारी के कब्जा व मुताबिक राजस्व नक्शा में शुद्ध अंकन किये जाने का अनुरोध किया गया था। आराजी खसरा नम्बर 142/1 रकबा 0.14 विस्बा वाकै ग्राम मोरोली डांग को बनवारीलाल पुत्र परशुराम को आवंटित हुआ था। उसके खातेदार होने के बाद बनवारीलाल ने उक्त खसरा नम्बर को अपीलान्ट को सन 1998 में विक्रय कर दिया गया था। तभी से उक्त नम्बर पर अपीलान्टा का कब्जा काश्त है। जिस जगह अपीलान्टा को कब्जा संभलाया गया था। उसी जगह कब्जा चला आ रहा है व उसी स्थान पर काश्त की जा रही है, लेकिन भू प्रबन्ध विभाग ने सैटलमेन्ट के दौरान उक्त खसरा नंबर के जो हाल खसरा नम्बर बनाये गये हैं। उन्हें गलत स्थान पर दर्शाया गया है। इसको दुरूस्त कराने हेतु अपीलान्टा की ओर से अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, परन्तु अदालत मातहत द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्टा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का आदेश दिया है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि उक्त पत्रावली अप्रार्थीगण की तलबी में चल रही थी तथा दिनांक 11.01.2021 को पीठासीन अधिकारी के नहीं होने के कारण सील लगाई गई थी तथा पूर्वानुसार ही आदेश दिनांक 12.01.2022 को पेश होने का अंकित किया गया, लेकिन दिनांक 12.01.2022 को पत्रावली अप्रार्थीगण की तलबी में होने के बाबजूद अदालत तहत ने निर्णय जेरे अपील पारित कर दिया है, जो कि विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। जबकि वास्तविकता

9.5.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

यह है कि अपीलान्टा आराजी साविक खसरा नम्बर 142/1 रकबा 0.14 विस्वा पर मौके पर बीसों साल से काबिज रहकर काश्त कर रही है तथा आज भी अपीलान्टा की मौके पर लाहा की फसल बोई हुई है, परन्तु इस बिन्दु पर अदालत मातहत द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है। अदालत तहत में न तो रैस्पो0 उपस्थित ही हुये और ना ही अदालत मातहत द्वारा रैस्पोडेन्ट से कोई जबाब ही लिया गया। वरन् नायब तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। नायब तहसीलदार के द्वारा उक्त रिपोर्ट बनाये जाने से पूर्व न तो मौके पर पैमाईश ही की गई और ना ही साविक नक्शे का अवलोकन ही किया गया। इसके बाबजूद भी नायब तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में विवादित भूमि पर अपीलान्टा का कब्जा काश्त भी माना है। जब अपीलान्टा का आराजी खसरा नम्बर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है तो विवादित आराजी खसरा नम्बर पर नाजायज कब्जा कैसे हो सकता है। इसके संबंध में अदालत मातहत में कोई विवेचन नहीं किया। जबकि अपीलान्टा बीस सालों के पूर्व से ही विवादित भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रही है। तहत अदालत में अपीलान्टा के द्वारा साविक व हाल नक्शा व अन्य राजस्व रिकार्ड भी पेश किया था।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्ट ने पटवारी हल्का हुमरिया की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 25.02.2022 व भूअभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 11.08.2023 जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपि फार्म संख्या 3 के साथ दिनांक 16.10.2023 को पेश की गई है, में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उक्त रिपोर्ट में यह माना गया है कि अपीलान्टा के द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष दिये जाने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा पत्रावली अप्रार्थीगण की तलबी में होने के बाबजूद भी अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना उक्त निर्णय पारित किया गया है। जिसमें अपीलान्टा की ओर से प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का न तो अवलोकन किया गया और न ही विवेचन ही किया गया। नायब तहसीलदार की ओर से पटवारी हल्का के द्वारा स्वयं के स्तर से तैयार की गई मौका पर्चा रिपोर्ट को उप जिला कलक्टर को भिजवाया गया। जिसके आधार पर उपरोक्त निर्णय पारित किया गया है। जबकि अपीलान्टान की ओर से प्रस्तुत पटवारी हल्का हुमरिया की मौका रिपोर्ट दिनांक 25.02.2022 व 11.08.2023 में वर्णित तथ्य पूर्व में वर्णित तथ्यों से भिन्न है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये बिना व उनके समक्ष प्रस्तुत हुए दस्तावेज का विधिवत अवलोकन व परीक्षण किये बिना पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी रूपवास की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.01.2022 को निरस्त किया जावे तथा साविक नक्शे के अनुसार हाल नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जावें।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

में अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी रूपवास के न्यायालय में एल.आर.एक्ट की धारा 131 व 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना पत्र के साथ विभिन्न राजस्व रिकार्ड पेश किये गये थे। प्रकरण दिनांक 23.12.2020 तक अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नियत था। जिसमें निर्णय दिनांक 12.01.2022 तक अप्रार्थीगण की तलबी किये जाने का कोई रिकार्ड संलग्न नहीं है। उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा दिनांक 12.01.2022 को अपीलान्ट के अभिभाषक कीर बहस सुनी जाकर नायब तहसीलदार रूदावल की ओर से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट दिनांक 16.12.2021 के अनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.01.2022 को पारित किया है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली में अप्रार्थीगण की तलबी किये जाने की पूर्ण कार्यवाही नहीं की गई तथा वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि उन्हें सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इसके अलावा अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील के लम्बित रहने के दौरान अपीलान्ट की ओर से फार्म नंबर 3 के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेज जिसमें पटवारी हल्का हुमरिया द्वारा नायब तहसीलदार रूदावल को प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25.02.2022 व मौका जॉच रिपोर्ट दिनांक 11.08.2023 में वर्णित तथ्य नायब तहसीलदार रूदावल की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ संलग्न रिपोर्ट से भिन्न प्रतीत होते हैं। इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी रूपवास की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.01.2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रूपवास को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्टा को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर देने व विवादित भूमि के संबंध में पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का पुनः परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 09.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर